

क्षेत्राधिकार उपनिबन्धक 1, बरेली

बैनामा आवासीय प्लॉट अर्द्धनगरीय क्षेत्र जिस पर कोई निर्माण नहीं है शत्रु, नजूल, चर्च, वक्फ, सीलिंग की सम्पत्ति नहीं है, पक्षकार भारतीय है। शासनादेश सं. 2756/11-2000-500/07 दिनांक 30 जून सन् 2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

बैनामा ..... /- रु. सरकारी मूल्य ..... /- रु. स्टाम्प ..... /- रु.

हम कि मैसर्स जागेश्वर धाम डबलपर्स द्वारा पार्टनर दिलीप जायसवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र जायसवाल निवासी 71, नवादा शेखान बरेली व लकीब्रिक बिल्डवैल प्रा0लि0 97/98ए, रेजीडेन्सी गार्डन बरेली द्वारा निदेशक अमित सेठी पुत्र श्री रामचन्द्र सेठी निवासी 676, जनकपुरी बरेली व आरव इन्फ्राप्रोजेक्ट्स एल.एल.पी. आकाश पुरम पीलीभीत बाईपास रोड नियर संजय नर्सिंग होम बरेली द्वारा पार्टनर ब्रज लाल वर्मा पुत्र श्री निहाल सिंह निवासी 1, गंगोत्री सदन आकाश पुरम विस्तार पासपोर्ट ऑफिस के पास बरेली के हैं

जो कि आराजी खसरा नं0 117 कुल व 116 का भाग कुल तादादी 15155.875 वर्ग मीटर वाकै ग्राम नवदिया इलाका सिंघाई पर0तह0 व जिला बरेली जिसको फर्म मजकूरैन ने बजरिये दो किता बैनामा जात यके बैनामा जिसकी रजि0 दिनांक 09.10.2023ई. को बहीं नं0 1 जिल्द 15038 के पृष्ठ 323 से 352 में नं0 15794 पर दिनांक 12.10.2023ई. को कार्यालय स0र0 साहब बरेली में हुई इकरारी आसिम इम्त्याज बगैरा से खरीद की व दायमी बैनामा दिनांक 09.10.2023ई. जिसकी रजि0 बहीं नं0 1 जिल्द 14636 के पृष्ठ 179 से 210 में नं0 14973 पर दिनांक 12.10.2023ई. को कार्यालय स0र0 साहब बरेली में हुई इकरारी आसिम इम्त्याज बगैरा से खरीद की बाद खरीदारी फर्म मजकूरैन ने आराजी का तलपट मानचित्र सं0 च्क्ध्क्ध02258ध्टव।ध्स्क्ध23.24ध0576ध31012024 दिनांक 26.09.2024ई. को बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत कराकर उस पर प्लॉट कायम किये जिसमें से प्लॉट नं0 ..... रकवा .  
..... वाकै ग्राम नवदिया इलाका सिंघाई बरेली क्रेता बैनामा हाजा क्रय करना चाहते हैं तथा फर्म मजकूरैन उसको बिक्रय करना चाहती हैं तथा क्रेता बैनामा हाजा ने जो कीमत लगायी है वह माकूल व मुनासिव है जो फर्म मजकूरैन को स्वीकार हैं लिहाजा हमने बहैसियत पार्टनर व डायरेक्टर फर्म मजकूरैन के खूब सोचकर व समझकर उपरोक्त प्लॉट नं0 ..... रकवा ..... वाकै ग्राम नवदिया इलाका सिंघाई बरेली महदूदा जैल ममलूका मकबूजा फर्म मजकूरैन जिस पर फर्म मजकूरैन उपरोक्त विवरण के अनुसार मालिक काबिज व दखील चली आती है जो कही रहन वय वक्फ जमानत व कुर्की सरकारी व गैर सरकारी इक्यूटेबिल मॉर्गेज आदि मे नहीं है तथा हर तरह से पाक व साफ है ऐसा ही इतमिनान खरीदार को दिलाकर साथ सब हदूद व हकूक मिराफिक दाखली व खारजी के बिल ऐवज मुवलिंग ..... /- रुपये के बदस्त .....  
..... के हाथ मिलने कीमत मुनासिब के बेच डाली और वय कतई कर दी जरे समन तमाम व कमाल हस्व तफसील जैल खरीदार से बसूल पाकर शय मुवैया हाजा पर खरीदार को मालिकाना काबिज व दखील कर दिया। अब फर्म मजकूरैन का शय मुवैया हाजा में कोई हक व मिल्क किसी किसम का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा को होगा। वय कामिल तौर पर नाफिज हो गई अदल-बदल हो गई यह शर्त साफ तौर पर करार

पाई कि अगर सानिउलहाल कोई सहीम या शरीक हकदार या किफालतदार या अन्य जो कोई शख्स पैदा होकर दावा अपने बावत शय मुवैया हाजा के करे और उसके दावे से शय मुवैया हाजा का जुज या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे तो खरीदार को हक मजाज वापसी जरे समन जुज का जुज व कुल का कुल मय हर्जा व खर्चा नुकसान व बापसी की जिम्मेदारी फर्म मजकूरैन से रहेगी। आज से पूर्व बिक्रेतागण ने विक्रीत सम्पत्ति का कोई मुहायदावय बैनामा वसीयतनामा मुख्तारनामा दानपत्र नही किया है विक्रीत सम्पत्ति की स्वामित्व कब्जा व चौहद्दी मे कोई विवाद नही है। विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी मे कोई व्यवसायिक/वाणिजिक गतिविधि विद्यमान्य नही है। भविष्य में इस सम्पत्ति पर लागू समस्त कर (नगर निगम सर्विस टैक्स, जी0एस0टी0, बिजली बिल इत्यादि) देने का पाबन्द क्रेता रहेगा, क्रेता स्वीकृत मानचित्र जो कि बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है के अनुसार निर्माण करने का पाबन्द रहेगा तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण जनरेटर आदि घर के बाहर नहीं रखेगा, भविष्य में कम्पनी द्वारा गठित सोसायटी द्वारा निर्धारित रख-रखाव की जो धनराशि होगी उसे क्रेता समय पर देने का पाबन्द रहेगा। यदि भविष्य में इस कॉलोनी का विस्तार होता है तो पीछे वाले खरीदार इसी रास्ते का उपयोग करेंगे जिसमें खरीदार बैनामा हाजा को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी। निर्धारित भूमि दर ..... /- रुपये प्रति वर्गमी0 से मालियत सरकारी ..... /- रुपये पर स्टाम्प शुल्क अदा किया है। लिहाजा यह बैनामा कतई लिख दिया कि सनद हो।

**हद्दअर्वा -**

पूरब -

पश्चिम -

उत्तर -

दक्षिण -

**पैमाईश-** संलग्न नक्शा बैनामा लेखानुसार है।

**तफसील जरे समन-**

### घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि बिक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के प्रथम भाग क्षेत्राधिकार में वर्णित नगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है। बिक्रीत सम्पत्ति बरेली-पीलीभीत रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या ..... के क्रमांक ..... के कॉलम ..... में बी0 कोड नं0 ..... निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी। धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है।